

2025/654

FORM NO.111


फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर वनाम् पटवारी हल्का डंरापुर

किस्म मुकदमा:- विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा नम्बर:- 366/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये
17-10-25	<p>राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 17 सितम्बर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक "ग्रामीण सेवा शिविर" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबंधित संपादित किये जाने वाले कार्यों में "रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 19(7) राज-5/सम/2025 जयपुर दिनांक 03.09.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे हैं) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2686 /भूअ./2025 दिनांक 29.9.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम खनीपुरा पटवारी हल्का डंरापुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 895, 894, 893/2 रकबा कमत, 0.1200 हे, 0.0450 हे, 0.110 हे में से जा रहे प्रचलित चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जगाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर कुछ खातेदारान् के सहमति बतौर हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान् में से, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का डंरापुर को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अभिशांथा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। विविध प्रार्थना पत्र</p>	

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म हुक्म की तारीख में जारी हुई
17-10-25	<p>प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं अवणाधिकार का होने से प्रकरण को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त पत्रावली मय दरतावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को "ग्रामीण सेवा शिविर" -2025 के तहत ग्राम पंचायत <u>हंसपुर</u>.....में प्राप्त प्रकरण को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। निर्णय आदेश मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एवं संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्ताकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावें एवं नक्शों में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस इस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित रास्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलीय/अपर /सिविल/राजस्व मण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	
	<p>यह निर्णय आज दिनांक 17-10-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	